

आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए सरकारी कारोबार से संबंधित जांचसूची

भाग ए: एजेंसी कमीशन दावे

आंतरिक निरीक्षक/लेखा परीक्षक शाखाओं द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन के दावों का सत्यापन करेंगे और उनके निरीक्षण/ लेखा परीक्षा के दौरान उनकी सटीकता की पुष्टि करेंगे। एजेंसी बैंक (एबी) शाखाओं में आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षा के दौरान विशेष रूप से निम्नलिखित की जाँच की जाएगी:

1. लेन-देन की कुल संख्या निकालने के लिए जो प्रणाली लागू है, वह मज़बूत और त्रुटि-मुक्त है।
2. विभिन्न प्रकार के लेन-देन (भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तियाँ और पेंशन/गैर-पेंशन भुगतान) का वर्गीकरण आरबीआई के निर्देशों के अनुसार है।
3. एजेंसी कमीशन के दावों में रिपोर्ट किए गए लेन-देनों की संख्या की सत्यता।
4. क्या त्रुटि स्कॉल (error scroll) लेन-देन पर एजेंसी कमीशन का दावा किया गया है? (बैंक त्रुटि स्कॉल पर कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि मूल लेन-देन पर कमीशन का भुगतान पहले ही किया जा चुका होता है।)
5. क्या शाखाओं में सरकारी कारोबार और एजेंसी कमीशन के दावों (जहाँ भी ऐसे दावे करने में शाखा की कोई भूमिका होती है) के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखे जाते हैं?
6. क्या एजेंसी कमीशन के दावों से संबंधित रजिस्ट्रों/प्रिंटआउट में की गई प्रविष्टियाँ उचित रूप से प्रमाणित हैं?

भाग बी: पेंशन/ सरकारी कारोबार से संबंधित मुद्दे

आंतरिक निरीक्षणों में पेंशनभोगी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के मामले में शाखा के कार्य निष्पादन का आकलन किया जाना चाहिए। इस संबंध में, निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाएगा:

1. पेंशन का भुगतान करने वाली शाखाओं के निरीक्षण के दौरान उपयोग हेतु, पेंशन भुगतान के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक विशिष्ट प्रश्नावली तैयार की जाएगी।
2. निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण अधिकारी यादृच्छिक रूप से (randomly) पेंशनभोगियों को फ़ोन भी करेंगे और पेंशन-संबंधी सेवाओं से उनकी संतुष्टि के बारे

में पूछताछ करेंगे।

3. पेंशन भुगतान/ सरकारी कारोबार के संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित प्रभाकर राव समिति की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षकों/ निरीक्षकों को पेंशन भुगतान/ सरकारी कारोबार से संबंधित एक विस्तृत जांचसूची दी जाएगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(ए) क्या पेंशन के भुगतान, पेंशन के संशोधन, महंगाई राहत में संशोधन आदि में कोई देरी हुई है?

(बी) क्या शाखा प्रबंधक, तिमाही आधार पर, शाखा में सेवा प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रकार के पेंशनभोगियों के साथ एक व्यवस्थित बातचीत (structured interaction) करता है? यह तब किया जाता है जब सभी सरकारों और विभागों के पेंशनभोगियों की संख्या एक निश्चित संख्या, मान लीजिए 100 या 200 से अधिक हो जाती है।

(सी) क्या सभी पेंशन खातों के लिए नामांकन (nominations) प्राप्त कर लिए गए हैं?

(डी) क्या पेंशन खातों को, जहाँ भी लागू हो, संयुक्त खातों (joint accounts) में बदल दिया गया है?

(ई) क्या बैंक शाखा में कोई प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है, और क्या पेंशनभोगियों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है तथा उनकी शिकायतों का शीघ्रता से निवारण किया जाता है?

(एफ) क्या पेंशन, महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों के दौरान पेंशनभोगी के खाते में जमा की जाती है? इसका अपवाद मार्च का महीना है, जिसके लिए पेंशन अप्रैल के पहले कार्य दिवस को या उसके बाद जमा की जाना होती है।

(जी) क्या पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा, प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र/ गैर-रोजगार प्रमाण पत्र/ रोजगार प्रमाण पत्र प्राप्त करती है?

(एच) क्या पेंशन का भुगतान करने वाली शाखाएँ, जहाँ भी लागू हो, पेंशन के भुगतान से स्रोत पर ही आयकर काटती हैं?

(आई) क्या कर जमा करने वाली शाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए चेकों की पावती के रूप में हमेशा पेपर टोकन दिए जाते हैं?

(जे) क्या चालानों पर स्पष्ट रूप से बैंक का BSR कोड और चालान पहचान संख्या (CIN) अंकित करके मुहर लगाई जाती है?

(के) क्या मुहर लगे हुए चालानों को बैंक कर्मचारियों की अभिरक्षा में रखा जाता है और संबंधित करदाता को वे चालान केवल पेपर टोकन प्रस्तुत करने पर ही सौंपे जाते हैं?